

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस : 1885-1916 का

विषलेसणात्मक अध्ययन

डॉ गौरव त्रिपाठी

असि० प्रो०, राजनीति विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी, (उत्तर प्रदेश)

शोध सार:

सोलहवीं शताब्दी के साथ भारत को विभिन्न देश अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके थे। जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का ज्यादा प्रभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में चल रहा था तथा भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनका उदय हुआ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम ने देश का दौरा किया तथा डफरिन से भी सलाह लिया तब 1885 में कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में दो युगों में बंटी रही -पहला- उदारवादी युग व दूसरा -उग्रवादी युग। इन दोनों युगों में संघर्ष के साधनों की भिन्नता थी।

मुख्य शब्द

कांग्रेस, सेफ्टी वाल्व, तड़ित विद्युत चालक, डफरिन, पिटीशन, प्रार्थना, संवैधानिक साधन, उदारवाद, उग्रवाद, अहिंसा, हिंसा।

भारत में भारतीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन उपस्थित थे जिसमें बंग प्रकाशन सभा , पूना सार्वजनिक सभा ,इंडिया लीग ,मद्रास महाजन सभा आदि थे।¹ इन संगठनों ने कांग्रेस की स्थापना में नींव का कार्य किया। कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को किया था।² उन्होंने स्थापना के पूर्व संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का भ्रमण किया तथा बंबई मद्रास व कलकत्ता के नेताओं से विचार किया। 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक, राजनीतिक , मानसिक व नैतिक पुनरुत्थान के लिए संगठन बनाया जाना चाहिए ।³ उन्होंने कलकत्ता के युवकों को खुला पत्र लिखकर कहा कि हमें पचास आत्मविश्वासी निडर साहसी संयमी युवक इस संगठन को बनाने हेतु चाहिए । ए ओ ह्यूम ने अपनी बात वायसराय लार्ड डफरिन से भी साझा किया। लार्ड डफरिन को बताया कि यह संगठन देशभक्ति व स्वतंत्रता के अधिकारों हेतु संघर्ष करने के निमित्त होगा। डफरिन ने ह्यूम को सुझाव दिया कि आप इसमें राजनीतिक विचार विनिमय को भी शामिल करिये।⁴ ह्यूम संगठन निर्माण के सिलसिले में इंग्लैंड गये तथा वहां लार्ड रिपन ,लार्ड डलहौजी व जान ब्राइट से बात चित किया। रिपन एक अच्छे व्यक्ति थे उन्होने कहा कि ब्रिटिश सरकार शिक्षित भारतीयों को राजनीतिक वास्तविकता मानना चाहिए। ह्यूम भारत आकर पूणे में संगठन निर्माण हेतु सम्मेलन की तिथि 25-28 दिसंबर 1885 निर्धारित किया। किंतु पुणे में हैजा फैलने के कारण यह बैठक बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुयी।⁵ इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जसमें दादाभाई नरौजी, फिरोजशाह मेहता, के टी तैलंग ,दिनशा वाचा ,वी राघवाचारी, एस सुब्रह्मण्यम, आदि ने भाग लिया। इसमें कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी तथा मुसलमानों की तरफ से केवल दो प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बैनर्जी ने किया।⁶ कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे -

- 1) राष्ट्रीय हित में संलग्न लोगों को आपस में एकजुट करना
- 2) राष्ट्रीय एकता को संवर्धित
- 3) समाज में उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना
- 4) ऐसे मार्गों को निर्धारित करना कि राष्ट्रीय हित में राजनीतिज्ञ लोग कार्य कर सकें।

यहाँ कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दो अवधारणाएँ प्रचलित हैं

1)सेफ्टी वाल्व अवधारणा -यह अवधारणा विलियम बेंडरवार्न ने ह्यूम की जीवनी नामक पुस्तक में दिया।⁷ उनका मत है कि शिमला में ह्यूम को तिब्बती धर्मगुरुओं ने सात खंडों की एक रिपोर्ट दिखलाई जिसमें भारतीय असंतोष व आंदोलन की बात लिखी थी। इसलिए इस असंतोष को समाप्त करने हेतु डफरिन की सहायता पर कांग्रेस का निर्माण किया गया। इसके समर्थकों में आर पामदत्ता भी शामिल है वे यह मानते हैं कि जनविद्रोह के उन्मूलन हेतु पूँजीपतियों द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया।⁸ इस मान्यता को मुखर्जी व एंड्रयूज ने अपनी पुस्तक कांग्रेस का उदय व विकास में स्वीकार किया है। इस मान्यता को 1950 के दशक में खारिज कर दिया गया।

2)तड़ित चालक सिद्धान्त-इसे लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धान्त कहते हैं। इसे मानने वालों में गोपाल कृष्ण गोखले उल्लेखनीय है।⁹ उनका मानना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित के बारे में सोचने वालों में एकता की स्थापना के साथ साथ जनता के शिकायतों के निवारण का माध्यम है और हिंसक विद्रोहों को रोकती है।

कांग्रेस :उदारवादी युग

कांग्रेस के उदारवादी युग का काल 1885 से 1905 माना जाता है। इस युग को उदारवादी कहने के निम्नांकित कारण हैं -

- 1) जब किसी भी आंदोलन का सूत्रपात होता है तथा मांगे एवं अधिकार सत्ता के समक्ष रखी जाती है तो वह संवाद के माध्यम से ही प्रस्तुत होती है संवाद उदारता का प्रतीक है यह देखा गया कि कांग्रेस के प्रारंभ के 20 वर्षों तक तक अपनी मांगों को संवादों के माध्यम से ही उत्तरदायी व्यवस्था अर्थात् ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष रख रही थी । यह मांग रखने वाले लोग समृद्ध और बुद्धिजीवी लोग थे जिसमें डॉक्टर ,इंजीनियर, पत्रकार ,वकील ,शिक्षक सम्मिलित थे।¹⁰
- 2) ब्रिटिश हुकूमत की न्याय भावना में उदारवादी अगाध विश्वास रखते थे।
- 3) उदारवादी कांग्रेस क्रमिक सुधारों में विश्वास रखती थी । रनाडे कहते थे कि हमें मांगों को मांगते समय यह देखना चाहिए कि संभव है कि नहीं। यह राजनीतिक स्वाशासन की मांग रखते थे।¹¹
- 4) उदारवादी लोग पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति में डूबे हुए थे। इसमें डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा, पी आनंद चार्लू, रास विहारी घोस, लाल मोहन घोस रोमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रनाडे आदि उल्लेखनीय थे। यह लोग उच्च व मध्य वर्ग के लोग थे रक्त व रंग से भारतीय किंतु बुद्धि ,रुचि, विचार नैतिकता से अंग्रेज थे। 1885-1905 के बीच कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत के समक्ष निम्नांकित मांगे रखी .विधानपरिषद का विस्तार व निर्वाचन । .सेना पर व्यय में कटौती । .शस्त्र अधिनियम में संशोधन। भूमि कर में कमी। नमक कर की समाप्ति। .आई सी एस की परीक्षा की आयु में वृद्धि व परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ भारत में कराया जाना।¹² .बेगारी पर प्रतिबंध। .कृषि बैंको को खोलना तथा कृषको को ऋण के रूप में सहायता करना ।। यदि हम कुछ कांग्रेस के अधिवेशन पर दृष्टि डालें तो हमें कांग्रेस के उदारवादी युग के लक्षण दिखवायी पड़ते हैं- 1885 बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बनर्जी ने कहा कि हम ब्रिटिश हुकूमत का स्थायित्व चाहते तथा भारतीयों की प्रशासन भागीदारी की मांग करते हैं। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि कांग्रेस ब्रिटिश



हुकूमत के प्रति वफादार है तथा हम अंग्रेजी शिक्षा की प्रशंसा करते हैं।¹³ 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ जिसका अध्यक्ष जार्ज यूले को इसलिए बनाया गया ताकि ब्रिटिश आलोचकों को संतुष्ट किया जा सके। 1889 के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस विरोधियों को चुप कराने के लिए बेंडरवर्न को अध्यक्ष बनाया गया। 1890 कलकत्ता अधिवेशन में फिरोजशाह मेहता को तब अध्यक्ष बनाया गया जब दो अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया तथा मेहता ने कहा हमारा लक्ष्य सुधार है क्रांति नहीं। 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हम दादा भाई नौरोजी ने कहा कि हमें कांग्रेस का अगला अधिवेशन लंदन में करना चाहिए हमें उम्मीद है कि हमारी बातें जब हुकूमत तक पहुँचेंगी तो अवश्य ही मांगे मानी जायेंगी। उदारवादी युग को दो भागों में बाटा जा सकता है-

1) प्रथम चरण - यह काल 1885-1895 का है। इसमें कांग्रेस केवल यह साबित करने का प्रयत्न करती रही कि वह कोई विद्रोही संगठन नहीं है।

2) द्वितीय चरण - यह काल 1885-1905 तक रहा। इसमें कांग्रेस सरकारी की आलोचना मंद मंद स्वर में करने लगी थी।¹⁴

उपलब्धियाँ - 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम उदारवादी कांग्रेस की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।¹⁵

असफलता के कारण -

1) कांग्रेसी नेताओं की अंग्रेजों के प्रति भ्रामक व मिथ्या धारणा।

2) पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का आत्मसातीकरण।

3) सुधार के लिए तरीकों का दुर्बल होना।

4) सामान्य जनसे नेताओं की दूरी।



कांग्रेस : उग्रवादी युग (1906-1919)

कांग्रेस में उग्रवादी युग की पृष्ठ भूमि 1895 से ही बनने लगी जब कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत की धीमे स्वरों में उनके प्रशासनिक व नैतिक कमियों की आलोचना शुरू कर दिया था। यदि हम इसके नाम की परिचर्चा करें तो यह उग्रवादी नाम उनके प्रयुक्त साधनों के कारण पड़ा। यह राजनीतिक भिक्षावृत्ति की भर्त्सना करने वाले लोग थे तथा यह यह मानते थे कि ब्रिटिश हुकूमत न तो न्यायप्रिय है और न संवैधानिक सुधारों से सरोकार रखने वाली है। इस गुट के नेताओं में लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह आदि थे।¹⁶ उग्रवादी युग के उद्भव के निम्नलिखित कारण थे -

- 1) उदारवादी नेताओं की विफलता - यह लोग संवैधानिक तरीकों से उद्योग, स्वराज आदि कुछ भी प्राप्त न कर सके। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भी भारतीयों को संतुष्ट न कर सका।
- 2) ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीति - इसके अन्तर्गत हम यह पाते हैं कि आई सी एस की परीक्षा का केंद्र भारत में न बनाया जाना, 1895 के समाचार पत्र अधिनियम, कर्जन द्वारा कलकत्ता कार्पोरेशन अधिनियम बनाकर स्थानीय स्वाशासन के विकास को कमजोर करना, विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा सिंडिकेट व सीनेट में मनोनीत सदस्यों को बढ़ाना तथा शिक्षा पर नियंत्रण करना तथा सरकारी गोपनीयता अधिनियम के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास करना।¹⁷
- 3) सांस्कृतिक पुनर्जागरण- इस दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती, राम कृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीय धर्म व संस्कृति का गायन किया। दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो तथा विवेकानंद के शिकांगो धर्म संसद में संबोधन ने हिंदू संस्कृति का गौरव भाव भारतीयों के हृदय में जागृत किया। एनी बेसेन्ट ने भी कहा कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति



से अच्छी है। इन सबके बीच तिलत द्वारा 1894 में गणपति उत्सव व 1896 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ करना भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का कारण बना।¹⁸

4) विदेशों में घट रही घटनायें जैसे अबीसीनिया द्वारा इटली पर विजय (1893) तथा जापान द्वारा रूस को पराजित किया (1904) जाना उल्लेखनीय हैं। यह छोटे छोटे देश अपने संघर्ष के बल पर बड़े देशों को पराजित कर रहे थे।¹⁹

5) बंगाल विभाजन - बंगाल विभाजन ने भी इस दिशा में कार्य किया। लार्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित कर पूर्वी व पश्चिमी बंगाल बनाया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को खत्म करना तथा सांप्रदायिकता के माध्यम से राज करना था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19/7/1905 को हुयी तथा क्रियान्वयन 16/10/1905 को हुआ। उस समय बंगाल की जनसंख्या लगभग आठ करोड़ थी।²⁰

6) प्राकृतिक प्रकोप - यह देखा गया कि 1876-1900 के मध्य अठारह बार अकाल पड़ा जिससे सत्तर हजार वर्गमील भूमि और सात करोड़ की जनसंख्या प्रभावित हुयी। इसी अकाल के दौर में दिल्ली में ब्रिटिश क्राउन के सम्मान में शानदार दरवार का आयोजन कर भारतीयों के मुंह पर चमाचा मारा गया। जब मुंबई में प्लेग महामारी का रूप धारण किया तब कमिश्नर रैंड व सेना ने वीमार लोगों के घरों को गिरा दिया तथा उनके विस्तार आदि को जलाते हुए घरों में घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया।

7) ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे भारतीय कोई मानव ही न।

8) आर्थिक अंसतोष - ब्रिटिश हुकूमत भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर वस्तुओं का निर्माण कर ऊंचे दामों पर भारतीयों बाजारों में बेचती थी । भारतीय सामानों को मंहगा करने के लिए



सरकार ने साढे तीन प्रतिशत का उत्पादन कर लगा दिया तथा इंग्लैण्ड के मालों पर पांच प्रतिशत का टैक्स घटाकर साढे तीन प्रतिशत कर दिया।²¹

उद्देश्य व वैचारिकी –

उग्रवादी गुट का लक्ष्य था कि हमें स्वराज चाहिए । तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम इसको लडकर अवश्य लेगे।²² अरविंग घोष का मत था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की प्राणवायु है तथा हिंदू धर्म के माध्यम से इसे प्राप्त अवश्य करेगे। विपिन चंद्र पाल कहते थे ब्रिटने ने भारत पर शक्ति के माध्यम आधिपत्य जमाया है ऐसे में हमें भारत को शक्ति के बल पर ही वापस प्राप्तकरना होगा । उनका मत था कि यदि हमे स्वराज उपहार में दिया जाय तो भी न लेगे। हमे प्रशासन में आंशिक भागीदारी नही अपितु पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए । लाला लाजपत राय कहते थे ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों से घृणा करती है तथा भारतीय आत्मसम्मान चाहते हैं। ब्रिटिश लोग भिखारियों से घृणा करते हैं आओ हम प्रमाणित कर दे क् हम भिखारी नही हैं। विकास -1905 के बनारस अधिवेशन मे उग्रवादी गुट ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की निंदा किया। गोखले ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीयों का शासन भारत के हित मे होना चाहिए । 1906 का कलकत्ता अधिवेशन उग्रवादी गुट के संदर्भ में आंशिक सफलता व आंशिक हार को प्रतिबिंबित करती है। उग्रवादी गुट तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे किंतु न बना सके । फिरोजशाहमेहता के सौजन्य से दादाभाई नरौजी को लंदन से बुलाकर अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में उग्रवादी गुट के चार प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, वहिष्कार व स्वदेशी सम्मिलित थे।²³ 1907 का सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने को लेकर दोनो गुट मे रार हो गयी उग्रवादी गुट लाल लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था किंतु उदार वादी गुट बहुमत मे होने के कारण रास विहारी घोष को अध्यक्ष बना लिया। यह अधिवेशन नागपुर मे प्रस्तावित था किंतु



उग्रवादी गुट के डर के कारण सूरत में संपन्न हुआ।²⁴ इस अधिवेशन में गुट हो गये नरम पंथी व गरम पंथी गुट। यहां उल्लेखनीय है गरमपंथी गुट ने कांग्रेस छोड़ दिया वह बाहर रहकर काम करना शुरू कर दिये। 1916के लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुटों अर्थात् उदारवादी व उग्रवादी गुटों में एकता स्थापित हुयी तथा 1917 में तिलक के सहयोग से एनी बैसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुयीं।²⁵

संदर्भ सूची

1. मेहरोत्रा, एस. आर. (2004). द इमर्जेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. विकास पब्लिशिंग हाउस. (पृष्ठ 12-28).
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. (1885). प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही. आई.एन.सी. आर्काइव. (पृष्ठ 5).
3. वेडरबर्न, डब्ल्यू. (1913). एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, सी.बी.: फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. टी. फिशर अनविन. (पृष्ठ 50-53).
4. चंद्रा, बी. (1988). भारत का स्वतंत्रता संघर्ष (इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस). पेंगुइन बुक्स. (पृष्ठ 61-64).
5. सीतारमैया, पी. (1935). द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. पद्मा पब्लिकेशन्स. (पृष्ठ 18).
6. बनर्जी, डब्ल्यू. सी. (1885). अध्यक्षीय भाषण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन. बंबई. (पृष्ठ 1-3).
7. वेडरबर्न, डब्ल्यू. (1913). एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, सी.बी.: फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. टी. फिशर अनविन. (पृष्ठ 79-81).
8. दत्त, आर. पी. (1940). इंडिया टुडे. मनीषा ग्रंथालय (विक्टर गोलान्ज़ लिमिटेड). (पृष्ठ 290-298).
9. गोखले, जी. के. (1920). स्पीचेस एंड राइटिंग्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले. नटेशन एंड कंपनी. (पृष्ठ 112-115).
10. सरकार, एस. (1983). आधुनिक भारत (मॉडर्न इंडिया), 1885-1947. मैकमिलन. (पृष्ठ 37-41).





11. रानाडे, एम. जी. (1900). एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स. ठाकर एंड कंपनी. (पृष्ठ 230–235).
12. नौरोजी, डी. (1901). पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया. स्वान सोन्नेनशाइन. (पृष्ठ 560–565).
13. नौरोजी, डी. (1886). अध्यक्षीय भाषण: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन. कलकत्ता. (पृष्ठ 2).
14. तारा चंद. (1967). भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (खंड 2). प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय. (पृष्ठ 540–545).
15. कीथ, ए. बी. (1936). ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1600-1935. मेथुएन एंड कंपनी. (पृष्ठ 173–178).
16. चिरोल, वी. (1910). इंडियन अनरेस्ट. मैकमिलन एंड कंपनी. (पृष्ठ 40–48).
17. ग्रोवर, बी. एल., एवं मेहता, एस. (2018). आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन. एस. चंद पब्लिशिंग. (पृष्ठ 320–325).
18. वॉलपर्ट, एस. ए. (1962). तिलक एंड गोखले: रिवोल्यूशन एंड रिफॉर्म इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस. (पृष्ठ 128–132).
19. देसाई, ए. आर. (2005). सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. पॉपुलर प्रकाशन. (पृष्ठ 310–314).
20. भारत सरकार. (1905). बंगाल विभाजन पर आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गैजेट). गृह विभाग (सार्वजनिक). (पृष्ठ 210).
21. दत्त, आर. सी. (1904). द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. केगन पॉल, ट्रेच, टुबनर एंड कंपनी. (पृष्ठ 520–525).
22. तिलक, बी. जी. (1916). स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है [भाषण]. बेलगाम, भारत.
23. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. (1906). 22वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट. कलकत्ता अधिवेशन. (पृष्ठ 15–20).
24. मजूमदार, आर. सी. (1963). भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (खंड 2). फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय. (पृष्ठ 205–212).
25. पांडे, बी. एन. (1969). द ब्रेक-अप ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मैकमिलन. (पृष्ठ 95–98).

